



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276985
CG-DL-E-09102026-276985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5293]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5505(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुडी जिले में NH17 के कि.मी. 0 से कि.मी. 6.91 (जलपाईगुडी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में NH17 के कि.मी. 0 से कि.मी. 6.91 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: जलपाईगुड़ी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मॉल					
गांव का नाम: पश्चिम टोटगाँव (जे.एल. नं. 1)					
1	10	सरकारी	गैर कृषि (बालूचर)	1.199999 (एकर)	0.4856333
2	12	सरकारी	गैर कृषि (बालूचर)	0.4799992 (एकर)	0.1942533
3	20	सरकारी	गैर कृषि (बालूचर)	0.4300009 (एकर)	0.1740186
4	21	सरकारी	गैर कृषि (बालूचर)	0.9100001 (एकर)	0.368272
5	22	सरकारी	गैर कृषि (बालूचर)	0.3199994 (एकर)	0.1295022
6	9	सरकारी	गैर कृषि (नदी)	0.4000005 (एकर)	0.1618778
गांव का नाम: एलेनबाड़ी चा बागान (जे. एल. नं-4)					
7	151	सरकारी	कृषि (शहरी)	1.700001 (एकर)	0.6879806
8	154	सरकारी	गैर कृषि (जंगल)	0.6999997 (एकर)	0.2832861
9	155	सरकारी	कृषि (शहरी)	0.4000005 (एकर)	0.1618778
10	159	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.2 (एकर)	0.0809389
11	182	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.1399999 (एकर)	0.0566572
12	183	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.250001 (एकर)	0.1011736
13	193	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.1399999 (एकर)	0.0566572
14	195	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.6000008 (एकर)	0.2428167
15	196	सरकारी	कृषि (पथ)	0.0600001 (एकर)	0.0242817

16	198	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.0400001 (एकर)	0.0161878
17	199	सरकारी	कृषि (पथ)	0.01 (एकर)	0.0040469
18	200	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.18 (एकर)	0.072845
19	22	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.02 (एकर)	0.0080939
20	23	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.16 (एकर)	0.0647511
21	26	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.0800001 (एकर)	0.0323756
22	27	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.0099999 (एकर)	0.0040469
23	308	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.6999997 (एकर)	0.2832861
24	51	सरकारी	कृषि (चा बागान)	0.7800008 (एकर)	0.3156617
25	53	सरकारी	गैर कृषि (नदी)	0.1300001 (एकर)	0.0526103
Total					4.0631323

[फा. सं. 1089/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5505(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH17 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 6.91 (Jalpaiguri) in the district of Jalpaiguri in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (LA) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH17 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 6.91 (Jalpaiguri) in the district of Jalpaiguri in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: Jalpaiguri		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mal					
Village: Paschim Totgaon (J.L.No. 1)					
1	10	Government	Non Agriculture (BALUCHAR)	1.199999 (Acre)	0.4856333
2	12	Government	Non Agriculture (BALUCHAR)	0.4799992 (Acre)	0.1942533
3	20	Government	Non Agriculture (BALUCHAR)	0.4300009 (Acre)	0.1740186
4	21	Government	Non Agriculture (BALUCHAR)	0.9100001 (Acre)	0.368272
5	22	Government	Non Agriculture (BALUCHAR)	0.3199994 (Acre)	0.1295022
6	9	Government	Non Agriculture (NADI)	0.4000005 (Acre)	0.1618778
Village: Elenbari Tea Garden (J.L. No.- 4)					
7	151	Government	Agriculture (SAHARI)	1.700001 (Acre)	0.6879806
8	154	Government	Non Agriculture (JUNGLE)	0.6999997 (Acre)	0.2832861
9	155	Government	Agriculture (SAHARI)	0.4000005 (Acre)	0.1618778
10	159	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.2 (Acre)	0.0809389
11	182	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.1399999 (Acre)	0.0566572
12	183	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.250001 (Acre)	0.1011736
13	193	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.1399999 (Acre)	0.0566572
14	195	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.6000008 (Acre)	0.2428167
15	196	Government	Agriculture (PATH)	0.0600001 (Acre)	0.0242817
16	198	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.0400001 (Acre)	0.0161878
17	199	Government	Agriculture (PATH)	0.01 (Acre)	0.0040469
18	200	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.18 (Acre)	0.072845
19	22	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.02 (Acre)	0.0080939
20	23	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.16 (Acre)	0.0647511

21	26	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.0800001 (Acre)	0.0323756
22	27	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.0099999 (Acre)	0.0040469
23	308	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.6999997 (Acre)	0.2832861
24	51	Government	Agriculture (CHA BAGAN)	0.7800008 (Acre)	0.3156617
25	53	Government	Non Agriculture (NADI)	0.1300001 (Acre)	0.0526103
Total					4.0631323

[F. No. 1089/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director